

3.3 अतः उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर उपरोक्त वर्णित Property tax की देयता राशि के श्रेणी में प्रति वर्ष प्रत्येक घर के लिए निम्न प्रकार राशि वसूलनीय होगा :-

<u>Property tax श्रेणी</u>	<u>पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि</u>
(i) ₹0 - ₹1000	- ₹480 / वर्ष (या ₹40 / माह)
(ii) ₹1001-₹2000	- ₹780/ वर्ष (या ₹65/ माह)
(iii) ₹2001 - ₹3000	- ₹1440 / वर्ष (या ₹120 / माह)
(iv) ₹3001 एवं उससे अधिक	- ₹1800 / वर्ष (या ₹150 / माह)